पत्र सं०–6 एस०एस०(6)95 / 2026–5292 /

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 29/09/ 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX
द्वारा :– मंत्रिपरिषद्।

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 एवं 2028–29 मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत "ट्रांसफार्मिंग सीवान वेटलैण्डस क्लस्टर टू ऐन इन्टीग्रेटेड एक्वाकल्चर एण्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड (FIDF) ऐट वसंतपुर, भगवानपुर हाट एण्ड गोरियाकोठी" की योजना हेतु ₹ 1,95,28,00,000/– (एक सौ पंचानवे करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) की लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 एवं 2028–29 मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत "ट्रांसफार्मिंग सीवान वेटलैण्डस क्लस्टर टू ऐन इन्टीग्रेटेड एक्वाकल्चर एण्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड (FIDF) ऐट वसंतपुर, भगवानपुर हाट एण्ड गोरियाकोठी" की योजना हेतु ₹ 1,95,28,00,000/– (एक सौ पंचानवे करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. बिहार प्राकृतिक जल संसाधनों, नदियों, आर्द्रभूमियों (Wetlands), ऑक्सबो झीलों (Ox-bow Lake), तालाबों एवं अन्य अंतर्देशीय जल निकायों से समृद्ध राज्य है। राज्य में मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन तथा किसानों एवं मत्स्यजीवियों की आय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है। पिछले वर्षों में बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप राज्य में मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा बिहार देश के अग्रणी अंतर्देशीय

मत्स्य उत्पादक राज्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर चुका है। इसके बावजूद राज्य में उपलब्ध विशाल आर्द्रभूमि संसाधनों का वैज्ञानिक एवं समेकित विकास अभी भी अपेक्षित है।

3. सिवान जिला बिहार के उन प्रमुख जिलों में है जहाँ प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का व्यापक जल संसाधन उपलब्ध है। इन आर्द्रभूमियों में मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन, पेन कल्चर, केज कल्चर, जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण तथा वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। वर्तमान में अधिकांश आर्द्रभूमियाँ पारंपरिक पद्धति से उपयोग में लाई जा रही हैं, जिसके कारण उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

4. भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या J–117012–03/2020–Fy, दिनांक 11 मार्च, 2026 के माध्यम से चयनित आर्द्रभूमियों का समुचित विकास हेतु "Development of Wetland Fisheries Cluster in Siwan District of Bihar" अधिसूचित है। उक्त अधिसूचना के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) को प्रेषित किया गया। उक्त डी०पी०आर० प्रस्ताव के आलोक में Central Approval & Monitoring Committee के द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2026 को सम्पन्न 36वीं बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान की गई तथा उक्त बैठक की कार्यवाही के कंडिका 3.9 के अनुसार "The CAMC recommended this project of the Government of Bihar, at a project cost of Rs 19527.98 lakhs, the same amount being eligible for an interest subvention loan under FIDF." प्रस्तुत योजना का उद्देश्य सीवान जिले की चयनित आर्द्रभूमियों का वैज्ञानिक, समेकित एवं सतत विकास करना है।

5. **योजना की आवश्यकता एवं औचित्य–**

बिहार में उपलब्ध आर्द्रभूमियाँ मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिसंपत्ति हैं। इनका वैज्ञानिक विकास न केवल मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने तथा राज्य को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में सहायक होगा।

वर्तमान में अधिकांश आर्द्रभूमियाँ निम्नलिखित समस्याओं से प्रभावित हैं–

(i). वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन का अभाव।
(ii). गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज एवं संतुलित आहार की सीमित उपलब्धता।
(iii). आधुनिक मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं का अभाव।
(iv). कोल्ड चेन एवं विपणन सुविधाओं की कमी।
(v). मत्स्य रोग निदान एवं तकनीकी सेवाओं का अभाव।

(vi). जल संरक्षण एवं जल स्तर प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था।

(vii). मत्स्य कृषकों, मछुआरों आदि का सीमित तकनीकी दक्षता।

(viii). उत्पादनोपरांत प्रबंधन (Post Harvest Management) की अपर्याप्त व्यवस्था।

(ix). संस्थागत वित्त एवं आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच।

इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए क्लस्टर आधारित विकास मॉडल अपनाना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमियों का समेकित विकास कर उत्पादन, उत्पादकता, विपणन तथा मूल्य संवर्धन को एकीकृत किया जा सके।

6. योजना का उद्देश्य :–

(i). सिवान क्लस्टर जिला के बसंतपुर, भगवानपुर हाट एवं गोरियाकोठी प्रखंडों की चयनित आर्द्रभूमियों का वैज्ञानिक एवं समेकित विकास करना।

(ii). उपलब्ध आर्द्रभूमियों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।

(iii). आधुनिक मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना।

(iv). गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज, मत्स्य आहार एवं तकनीकी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(v). मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना।

(vi). मत्स्य किसानों एवं मत्स्यजीवियों की आय में सतत वृद्धि करना।

(vii). ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।

(viii). मत्स्य मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को सुदृढ़ करना।

(ix). कोल्ड चेन, प्रसंस्करण एवं विपणन अवसंरचना का विकास करना।

(x). जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन को प्रोत्साहित करना।

(xi). महिलाओं, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं मत्स्य सहकारी समितियों की सहभागिता बढ़ाना।

(xii). आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों जैसे Biofloc, RAS, डिजिटल मॉनिटरिंग एवं स्मार्ट मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देना।

7. योजना के प्रमुख लाभ :–

(i). चयनित आर्द्रभूमियों का वैज्ञानिक विकास।

(ii). आधुनिक मात्स्यिकी संरचनाओं की स्थापना।

(iii). मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि।

(iv). गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता।

(v). कोल्ड चेन एवं विपणन नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

(vi). मत्स्य रोग निदान एवं जैव सुरक्षा व्यवस्था का विकास।

(vii). मत्स्य किसानों को ब्याज रहित ऋण सुविधा उपलब्ध होना।

(viii). आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का विस्तार।

(ix). स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन।

(x). मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं निर्यात की संभावनाओं में वृद्धि।

(xi). निजी निवेश एवं सार्वजनिक–निजी सहभागिता (PPP) को प्रोत्साहन।

(xii). एफ०एफ०पी०ओ० / मत्स्य सहकारी समितियों / आदि का सशक्तीकरण।

8. योजना की अवधि :–

यह योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2028–29 तक तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार परियोजना अवधि में संशोधन अथवा विस्तार की जा सकेगी।

परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से आधारभूत अवसंरचना निर्माण, लाभार्थी आधारित गतिविधियों, क्षमता निर्माण, उत्पादन वृद्धि, विपणन एवं मूल्य संवर्धन के सिद्धांतों पर किया जाएगा।

9. वर्षवार वित्तीय प्रावधान :–

परियोजना के अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार कुल परियोजना परियोजना का लागत राशि ₹ 195.28 करोड़ है, जिसका व्यय तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा (विस्तृत वर्षवार विवरणी अनुलग्नक–I संलग्न)।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख गतिविधियाँ	कर्णांकित ऋण राशि (करोड़)	प्रतिशत
2026–27	DPR अनुमोदन, भूमि विकास, आधारभूत अवसंरचना निर्माण, एफ०एफ०पी०ओ० आदि का गठन, लाभार्थियों का चयन, निविदा, प्रारंभिक निर्माण कार्य आदि।	86.44	44.26
2027–28	प्रमुख अवसंरचना का निर्माण, लाभार्थी आधारित इकाइयों की स्थापना, प्रशिक्षण, उत्पादन गतिविधियों का विस्तार आदि।	74.46	38.13
2028–29	परियोजना पूर्णता, उत्पादन, मूल्य संवर्धन, विपणन, डिजिटल मॉनिटरिंग एवं संचालन।	34.38	17.61
	योग–	195.28	100

नोट : उपर्युक्त वर्षवार गतिविधियों एवं वित्तीय राशि में नाबार्ड के द्वारा विमुक्त ऋण राशि के अनुसार आवश्यकता वर्षवार गतिविधियों एवं कर्णांकित ऋण राशि में घटोतरी / बढ़ोतरी की जा सकेगी।

10. योजना के घटक :–

योजना के अंतर्गत कुल 28 घटक प्रस्तावित हैं –

(i). Construction of New Grow-out Ponds and One Time Input for Freshwater Fish Culture
(ii). Construction of New Freshwater Fish Hatcheries
(iii). Upgradation of Existing Freshwater Fish Hatcheries
(iv). Biofloc tanks (25 Tanks)
(v). Biofloc in Ponds (0.1ha)
(vi). RAS with 6 tanks
(vii). FPR Cages
(viii). Fish Kiosks (Stall)
(ix). E-rickshaws including Ice Box
(x). Construction of Rearing Ponds and One Time Input for Freshwater Fish Culture
(xi). Construction of prawn Farming and One Time Input for Freshwater Prawn Culture
(xii). Fish Landing and Aggregation Centre
(xiii). One Time Input for Freshwater Fish Culture
(xiv). Stocking of Fingerlings in Wetland
(xv). Recreational Fisheries
(xvi). Rejuvenation and Excavation of Pond/Wetland
(xvii). Administrative Building and training Hall
(xviii). Insulated Van
(xix). Purchase of FRP Boat and Net
(xx). Fish Processing Plant
(xxi). Establishment of Ice Plant (50 mt/ Day)
(xxii). Establishment of Cold Storage (10 mt/ day)
(xxiii). Establishment of Feed Plant (8 mt/ day)
(xxiv). Mobile Disease Diagnostic Laboratory (Van)
(xxv). Digital Infrastructure
(xxvi). HR
(xxvii). Borewell and Solar Pump & Pipeline
(xxviii). Seed transport vehicle

11. योजना की संक्षिप्त विवरण–प्रस्तावित योजना की संक्षिप्त विवरणी निम्न है :– भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–F.No. j-117012-03/2020-Fy, दिनांक–11.03.2025 के द्वारा बिहार राज्य में सीवान आर्द्रभूमि मत्स्य क्लस्टर विकास की योजना की सैद्धांतिक सहमति दी गई। उक्त एवं बिहार सरकार द्वारा विधिवत केन्द्र सरकार को समर्पित डी०पी०आर० योजना प्रस्ताव के आलोक में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के Central Approval & Monitoring Committee के द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2026 को सम्पन्न 36वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित की

गई। साथ ही पत्र संख्या F.No. j-117013(11)2/2026-Fy, दिनांक–28.07.2026 के माध्यम केन्द्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित योजना हेतु वित विभाग, बिहार सरकार से "requisite financial concurrence" प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय समझौता मसौदा (Memorandum of Agreement-MOA) निष्पादित करने का परामर्श दिया गया।

उपर्युक्त के आलोक में केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) से वित पोषण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय समझौता मसौदा (Memorandum of Agreement-MOA) से सम्बन्धित प्रारूप पर विधि विभाग, बिहार सरकार से विधिवत विधीक्षा (Vetting) कराया गया तथा माननीय विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही दिनांक 5 अगस्त, 2026 को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के मध्य त्रिपक्षीय समझौता मसौदा (Memorandum of Agreement-MOA) निष्पादित की गई। तत्पश्चात् मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या F.No. j-2403315/7/2022-Fy (E-20841), दिनांक–27.08.2026 के द्वारा "Transforming Siwan Wetlands Cluster to an Integrated Aquaculture & Export Oriented Value Chain in the State of Bihar under Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) at Basantpur, Bhagwanpur Haat and Goriakothi" को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत कुल 28 घटक प्रस्तावित है–

(i). Construction of New Grow-out Ponds and One Time Input for Freshwater Fish Culture (350 Hectare) : ₹ 69.4295 Crore-

भारतीय मेजर कार्प प्रजातियों के पालन हेतु 350 हेक्टेयर में नये तालाबों का निर्माण किया जाएगा। प्रथम वर्ष हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज, संतुलित आहार एवं उर्वरक हेतु One-Time इनपुट भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii). Construction of New Freshwater Fish Hatcheries (5 No.) : ₹ 1.5816442 Crore-

प्रेरित प्रजनन तकनीक पर आधारित 5 गोलाकार हैचरी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिनमें ओवरहेड टैंक, ब्रीडिंग एवं हैचिंग पूल तथा नर्सरी व ब्रूड स्टॉकिंग तालाब सम्मिलित होंगे। इससे क्लस्टर में ही उन्नत गुणवत्ता के स्पॉन एवं फ्राई का नियमित उत्पादन संभव होगा, जिससे बाहरी बीज आपूर्ति पर निर्भरता समाप्त होगी।

(iii). Upgradation of Existing Freshwater Fish Hatcheries (10 No) : ₹ 1.00 Crore-

क्लस्टर में अवस्थित 10 हैचरी इकाइयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें जल आपूर्ति प्रणाली, ब्रीडिंग पूल एवं संबद्ध उपकरणों का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है। इससे इन हैचरियों की उत्पादन क्षमता एवं परिचालन दक्षता बढ़ेगी तथा बीज गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

(iv). Biofloc 25 tanks (15 No) : ₹ 9.1276155 Crore-

टार्पोलिन/फाइबर टैंक आधारित सघन बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी की 15 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, प्रत्येक इकाई में 25 टैंक सम्मिलित होंगे। यह तकनीक न्यूनतम जल विनिमय, उच्च स्टॉकिंग घनत्व एवं जैव–सुरक्षित वातावरण में उच्च मत्स्य उत्पादकता प्राप्त करने में सक्षम है, जिससे सीमित भूमि क्षेत्र में भी अधिकतम उत्पादन संभव होगा।

(v). Biofloc in Ponds (0.1ha) (150 No) : ₹32.88 Crore-

पी–लाइन (लाइनिंग युक्त) तालाब आधारित 150 बायोफ्लॉक इकाइयाँ, प्रत्येक 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित की जाएंगी, जो तिलापिया, पंगेशियस आदि मछलियों के पालन हेतु उपयुक्त हैं। यह घटक सर्वाधिक संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित करेगा तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए सघन जलजीव पालन का व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करेगा।

(vi). RAS with 6 tanks (10 No) : ₹ 5.72374 Crore-

पुनर्चक्रण जलीय जीवपालन प्रणाली (आर०ए०एस०) की 10 इकाइयाँ, प्रत्येक इकाई में 6 टैंक स्थापित की जाएंगी। यह उच्च घनत्व, नियंत्रित पर्यावरण एवं जल पुनर्चक्रण–फिल्टरेशन आधारित गहन उत्पादन प्रणाली है, जो न्यूनतम जल उपयोग में अधिकतम उत्पादन एवं वर्षभर नियंत्रित उत्पादन चक्र सुनिश्चित करती है।

(vii). FPR Cages (100 No) (3m x 3m x 1.5m): ₹ 2.118625 Crore-

वेटलैंड जलक्षेत्र में 100 फाइबर रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक केज स्थापित किए जाएंगे, जिनसे जल संसाधनों का सीधा उपयोग कर मत्स्य पालन संभव होगा। यह विशेष रूप से लघु एवं सीमांत मत्स्य कृषकों हेतु लाभकारी सिद्ध होगा।

(viii). Fish Kiosks (Stall) (15 No.) : ₹ 1.6125 Crore-

स्वच्छ, स्वास्थ्यकर एवं गुणवत्तापूर्ण मत्स्य विक्रय हेतु 15 मोबाइल/स्थाई कियोस्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें तैयार एंव प्रसंस्कृत मत्स्य उत्पाद विक्रय की सुविधा होगी। इससे उपभोक्ताओं को व्यवस्थित खुदरा बिक्री केंद्र तथा किसानों को प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध होगा।

(ix). E-rickshaw including Ice Box (30 No) : ₹ 2.115 Crore-

सोलर पैनल एवं डीप फ्रीजर/आइस बॉक्स युक्त 30 ई–रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे, जो ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में ताजा मछली के उपभोक्ताओ के दरवाजे तक विक्रय (Door-to-door) को सक्षम बनाएंगे। इससे परिवहन के दौरान गुणवत्ता संरक्षित रहेगी तथा विक्रेताओं की पहुँच व्यापक होगी।

(x). Construction of Rearing Ponds and One Time Input for Freshwater Fish Culture (50 Hectare) : ₹ 7.00 Crore-

फिंगरलिंग उत्पादन हेतु 50 हेक्टेयर क्षेत्र में रियरिंग तालाबों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रो–आउट कल्चर हेतु स्वस्थ एवं समुचित आकार के मत्स्य बीज की सतत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह हैचरी उत्पादन एवं अंतिम ग्रो–आउट पालन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगा।

(xi). Construction of prawn Farming and One Time Input for Freshwater Prawn Culture (50 Hectare) : ₹ 12.00 Crore-

मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्गी (जाइन्ट फ्रेशवाटर झींगा) के वैज्ञानिक पालन हेतु 50 हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब अवसंरचना निर्माण/विकसित की जाएगी तथा One Time इनपुट उपलब्ध कराया जाएगा। झींगा उच्च बाजार मूल्य एवं निर्यात–गुणवत्ता उत्पादन की संभावना रखता है, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(xii). Fish Landing and Aggregation Centre (1 No) : ₹ 0.75 Crore-

5000 वर्ग फुट क्षेत्र में सामुदायिक मत्स्य लैंडिंग एवं एकत्रीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो स्वच्छ हैंडलिंग, ग्रेडिंग, तौल, अस्थायी भंडारण एवं नीलामी की सुविधा प्रदान करेगा। इससे उत्पाद की गुणवत्ता एवं मूल्य पारदर्शिता में सुधार होगा।

(xiii). One Time Input for Freshwater Fish Culture (50 Hectare) : ₹ 2.50 Crore-

50 हेक्टेयर क्षेत्र में विद्यमान अथवा नए मत्स्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज, आहार, उर्वरक, चूना, प्रोबायोटिक्स एवं अन्य आवश्यक उत्पादन सामाग्री One Time इनपुट आपूर्ति की जाएगी, जिससे उत्पादन प्रारंभ करने में आने वाली प्रारंभिक वित्तीय बाधा दूर होगी।

(xiv). Stocking of Fingerlings in Wetland (2000 Hectare) : ₹ 1.2 Crore-

2000 हेक्टेयर वेटलैंड जलक्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य फिंगरलिंग की स्टॉकिंग की जाएगी, जिससे कैप्चर मत्स्यपालन को संवर्धन मिलेगा, प्राकृतिक स्टॉक पुनर्स्थापित होगा, जैव विविधता संरक्षण को भी बल मिलेगा तथा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी।

(xv). Recreational Fisheries (2 Acre) : ₹ 2.50 Crore-

दो एकड़ क्षेत्र में इको–टूरिज्म, एंगलिंग, बोटिंग एवं मत्स्य–आधारित शिक्षा गतिविधियों हेतु एक मनोरंजनात्मक केंद्र विकसित किया जाएगा, जो स्थानीय समुदाय के लिए वैकल्पिक आय स्रोत तथा वेटलैंड संरक्षण के प्रति जागरूकता सृजन का माध्यम बनेगा।

(xvi). Rejuvenation and Excavation of Pond/Wetland (50 Hectare) : ₹ 7 Crore-

50 हेक्टेयर क्षेत्र में डीसिल्टिंग, गहरीकरण, तटबंध सुदृढ़ीकरण एवं इनलेट–आउटलेट संरचना सुधार के माध्यम से वैज्ञानिक वेटलैंड पुनर्स्थापन कार्य किया जाएगा, जिससे जल धारण क्षमता एवं मत्स्य उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।

(xvii). Administrative Building and Training Hall (1 No) : ₹ 6.0215 Crore-

क्लस्टर प्रबंधन हेतु एक केंद्रीकृत प्रशासनिक भवन एवं प्रशिक्षण हॉल का निर्माण किया जाएगा, जो योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, समन्वय, किसान प्रशिक्षण, निगरानी एवं व्यवसाय सुविधा गतिविधियों के संचालन का केंद्र बिंदु होगा।

(xviii). Insulated Van (7 No. In Each block) (21 No.) : ₹ 4.2 Crore-

तीनों प्रखंडों में प्रत्येक हेतु 7 की दर से कुल 21 इंसुलेटेड परिवहन वैन उपलब्ध कराई जाएंगी, जो उत्पादन केंद्रों से एकत्रीकरण/प्रसंस्करण केंद्रों एवं बाजार तक कोल्ड–चेन बनाए रखते हुए मत्स्य परिवहन सुनिश्चित करेंगी।

(xix). Purchase of FRP Boat and Net (15 No.) : ₹ 0.75 Crore-

सुरक्षित एवं दक्ष मात्स्यिकी एवं शिकारमाही कार्य हेतु 15 फाइबर रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक नौकाएँ एवं आवश्यक फिशिंग जाल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे विशेष रूप से बड़े वेटलैंड क्षेत्रों में कैप्चर मात्स्यिकी एवं शिकारमाही गतिविधि सुगम होगी।

(xx). Fish Processing Plant (1 No.) : ₹ 10.00 Crore-

सफाई, ग्रेडिंग, फिलेटिंग, फ्रीजिंग, पैकेजिंग एवं मूल्य–वर्धन की समेकित सुविधा युक्त एक आधुनिक मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यातोन्मुख उत्पादन को भी सक्षम बनाएगा।

(xxi). Establishment of Ice Plant (50 mt/ Day) (1 No) : ₹ 1.50 Crore-

50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का आइस प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो हार्वेस्टिंग, परिवहन, भंडारण एवं विपणन के दौरान सतत बर्फ आपूर्ति सुनिश्चित कर कोल्ड–चेन को बनाए रखेगा।

(xxii). Establishment of Cold Storage (10 mt/ day) (1 No) : ₹ 0.60 Crore-

10 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाएगा, जो ताजा एवं प्रसंस्कृत मत्स्य उत्पादों के अस्थायी भंडारण हेतु उपयोग होगा तथा उत्पादों की शेल्फ–लाइफ बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

(xxiii). Establishment of Feed Plant (8 mt/ day) (1 No) : ₹ 2.00 Crore-

8 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो क्लस्टर में मीठे पानी की मछली एवं झींगा हेतु पौष्टिक फ्लोटिंग/सिंकिंग आहार का स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करेगा, जिससे आहार लागत एवं उपलब्धता दोनों में सुधार होगा।

(xxiv). Mobile Disease Diagnostic Laboratory (Van) (9 No) : ₹ 2.25 Crore-

पोर्टेबल प्रयोगशाला उपकरणों से युक्त 9 वैन उपलब्ध कराई जाएंगी, जो प्रक्षेत्र स्तर पर त्वरित रोग निदान, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं जैव–सुरक्षा निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगी, जिससे रोग प्रकोप से होने वाली उत्पादन हानि को समय रहते रोका जा सके।

(xxv). Digital Infrastructure (1 No/System) : ₹1.00 Crore-

एक समेकित डिजिटल प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें वेब–आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), मोबाइल एप्लीकेशन, GIS मैपिंग, किसान डेटाबेस, ट्रेसेबिलिटी एवं वास्तविक समय निर्णय सहायता प्रणाली होगी, जिससे क्लस्टर की संपूर्ण गतिविधियों की पारदर्शी निगरानी संभव होगी।

(xxvi). HR (25 persons for 24 months) : ₹ 1.80 Crore-

परियोजना क्रियान्वयन, प्रसार सेवा, निगरानी, प्रशिक्षण तथा डेटा एंव वित्तीय प्रबंधन हेतु 24 माह की अवधि के लिए 25 समर्पित तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्मिकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त की जायेगी, जो परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण को सुनिश्चित करेंगे।

(xxvii). Borewell and Solar Pump set & Pipeline (75 N0) : ₹ 6.015 Crore-

तालाबों, नर्सरी, हैचरी एवं झींगा फार्मों हेतु विश्वसनीय एवं सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 75 बोरवेल, सोलर पम्प एवं पाइपलाइन इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जो ऊर्जा–दक्ष एवं पर्यावरण–अनुकूल जल प्रबंधन को भी बढ़ावा देंगी।

(xxviii). Seed transport vehicle (2 No) : ₹ 0.60 Crore-

इंसुलेटेड टैंक एवं ऑक्सीजनेशन प्रणाली युक्त 2 विशेष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो हैचरी से नर्सरी/तालाब/वेटलैंड तक बीज एवं जीवित मत्स्य का सुरक्षित एवं न्यूनतम मृत्यु–दर पर परिवहन सुनिश्चित करेंगे।

12. वित्त–पोषण (Funding)–

(i). इस योजना के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण वित्तीय आवश्यकता, मत्स्यपालन एवं जलजीव पालन अवसंरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture

Infrastructure Development Fund - FIDF) के तहत नाबार्ड से ऋण के रूप में प्राप्त की जाएगी।

(ii). योजना की कुल लागत ₹ 195.28 करोड़ राशि बैंक ऋण स्वरूप नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिस पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subvention) उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii). योजनान्तर्गत ऋण राशि, ब्याज राशि एवं अन्य देयताओं राशि (यदि भविष्य में देय हो) का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(iv). इस व्यवस्था से बिहार सरकार को बड़ी पूंजीगत परियोजना हेतु तत्काल संसाधन जुटाने में सुविधा होगी, जबकि दीर्घकालिक चुकौती अवधि से राजकोषीय भार क्रमिक एवं प्रबंधनीय (gradual & manageable) बना रहेगा।

(v). वित्तपोषण विवरणी–

वित्त पोषण प्राचाल (parameter)	विवरण	अभ्युक्ति
वित्त पोषण स्रोत	FIDF – NABARD ऋण (100 प्रतिशत)	NFDB/DoF, भारत सरकार के माध्यम से
ब्याज अनुदान (Interest Subvention)	3 प्रतिशत	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त
स्थगन अवधि (Moratorium Period)	2 वर्ष	प्रारंभिक 2 वर्ष हेतु ऋण चुकौती स्थगित
ऋण ब्याज दर (Loan Interest Rate)	5 प्रतिशत प्रति वर्ष	बिहार सरकार हेतु प्रभावी दर
ऋण चुकौती अवधि	12 वर्ष (स्थगन अवधि सहित)	बिहार सरकार द्वारा NABARD को चुकौती
कुल परियोजना लागत	₹1,95,27,98,496.66	———
नोट– **उपरोक्त तालिका के ऋण ब्याज दर एवं कुल परियोजना लागत में आवश्यकतानुसार घटोतरी/बढ़ोतरी हो सकती है।**		

योजना की संपूर्ण लागत FIDF के तहत नाबार्ड से ऋण स्वरूप वित्त पोषित होगी, जिस पर भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त–पोषण चुकौती अवधि 12 वर्ष (2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित) है। ऋण ब्याज दर में कमी या वृद्धि होने पर तत्समय स्वतः संशोधित किये जाने का अधिकार वित्त विभागीय सहमति उपरांत विभाग के पास निहित रहेगा। प्रस्तावित योजना पर भारित ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

13. योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन :–

(i). इस योजना का क्रियान्वयन, समुचित संचालन, वित्तीय प्रबंधन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नवगठित निगम–"बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना" के द्वारा किया जाएगा।

(ii). इस योजना का क्रियान्वयन बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लितिटेड, मीठापुर, पटना के द्वारा गठित/गठित होने वाले फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ०एफ०पी०ओ०)/सहकारी समिति आदि के माध्यम से किया जायेगा।

(iii). गठित/गठित होने वाले फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ०एफ० पी०ओ०)/सहकारी समिति आदि योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी। इनके सदस्य, जैसे– उद्यमी, मत्स्य पालक, मत्स्य कृषक, मछुआरा, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह तथा अन्य पात्र व्यक्ति योजना के तहत लाभार्थी होंगे।

(iv). योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ०एफ०पी०ओ०)/सहकारी समिति आदि का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सदस्यता, पात्रता एवं अन्य शर्तें विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएँगी।

(v). योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नाबार्ड ऋण के रूप में प्राप्त राशि को निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा नवगठित बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना के प्रबंध निदेशक को उक्त निगम के बैंक/पी०एल० खाता में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोग केवल योजना के स्वीकृत प्रयोजनों हेतु किया जाएगा।

(vi). प्रबंध निदेशक, बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गठित/गठित होने वाली फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ०एफ०पी०ओ०)/सहकारी समिति आदि को स्वीकृत मदों हेतु ''ब्याज रहित ऋण'' उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त राशि का उपयोग केवल स्वीकृत परियोजना/घटक पर ही किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु राशि का विचलन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

(vii). फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ०एफ०पी०ओ०)/सहकारी समिति आदि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु योजना के स्वीकृत अवयवों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन–पत्र समर्पित किया जाएगा। आवेदन पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों/कागजातों एवं भूमि (स्थल) की जाँच, सत्यापन एवं पात्रता परीक्षण के उपरांत ही सक्षम प्राधिकार द्वारा चयन कर विधिवत कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

लाभार्थियों का चयन पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

(viii). "ब्याज रहित ऋण" की वापसी विभाग द्वारा निर्धारित अवधि एवं किश्तों के अनुसार संबंधित फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ०एफ०पी०ओ०)/सहकारी समिति आदि द्वारा बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना को की जाएगी। ऋण वापसी की समय–सीमा, किश्तों की संख्या एवं भुगतान की प्रक्रिया आंदि विस्तृत दिशा–निर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

(ix). लाभार्थियों से प्राप्त ऋण की वापसी राशि निगम द्वारा पृथक लेखा शीर्ष में संधारित की जाएगी तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार ससमय बिहार सरकार के राजकोष में जमा की जाएगी।

(x). योजना के अंतर्गत स्वीकृत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, उपयोगिता का निरीक्षण, प्रगति की नियमित समीक्षा, सामाजिक एवं वित्तीय अंकेक्षण तथा अनुश्रवण की व्यवस्था निगम के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(xi). योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया, लाभार्थी चयन की विस्तृत कार्यविधि, स्वीकृति की प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, निधि निर्गमन, ब्याज रहित ऋण की वापसी, ऋण वापसी की समय–सीमा एवं किश्तों का निर्धारण, लेखा संधारण, सरकारी राजकोष में राशि जमा करने की प्रक्रिया, अनुश्रवण, निरीक्षण, अंकेक्षण, अभिलेख संधारण तथा अन्य आवश्यक प्रावधानों से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया एवं अनुदेश प्रबंध निदेशक, बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

(xii). योजना के संचालन/क्रियान्वयन/प्रावधानों से संबंधित ऐसे सभी विषय, जिनका उल्लेख इस योजना में नहीं है अथवा जिनके संबंध में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है, उनका निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत योजना में आवश्यक संशोधन, आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा वही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

14. इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 तथा 2028–29 में किया जाएगा।

15. योजना के सफल क्रियान्वयन एवं क्रियान्वयन के क्रम में तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय समझौता मसौदा (Memorandum of Agreement-MOA) के अनुपालन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होता है तो योजना में आवश्यक संशोधन एवं दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत करने का अधिकार अपर मुख्य

सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पास निहित होगा।

16. बजट शीर्ष :– प्रस्तावित है।

17. इस योजनान्तर्गत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

18. योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत ऋण राशि को बिहार एक्वाकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना के बैंक/पी०एल० खाता/बी०एल०डी०ए०, पटना के पी०एल० खाता में संचित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

19. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

20. दिनांक–16.09.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)95/2026 के पृष्ठ 16–15/प०.

21. इस योजना की स्वीकृति Project Screening Committee के द्वारा परिचालन विधि के माध्यम से प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)95/2026 के पृष्ठ 19–17/प०.

22. दिनांक–23.09.2026 को मद संख्या–19 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)95/2026 के पृष्ठ–16/टि०.

23. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)95/2026 के पृष्ठ–17/टि० तथा डायरी सं०–678, दिनांक–25.09.2026.

24. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

29/09

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीठापुर, पटना / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, पिलर नं०–235, पी०भी०ए० एक्सप्रेसवे, हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–23.09.2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–19 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29/09/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के विभाग के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा–6 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक–29 / 09 / 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)95 / 2026– 5292, /पटना–15, दिनांक– 29/09/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

29/09

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

"Transforming Siwan Wetlands Cluster to an Integrated Aquaculture & Export Oriented Value Chain in the State of Bihar under Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) at Basantpur, Bhagwanpur Haat and Goriakothi"- Total Activities and Cost Details.

(Amount in Rupees)

Sl.	Components	Unit Cost	Unit	Phase I (2026-27)		Phase II (2027-28)		Phase III (2028-29)		Total (2026-29)	
Individual Components				Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	Construction of New Grow-out Ponds and One-Time Input for Freshwater Fish Culture	1983700	Ha	175	347147500	105	208288500	70	138859000	350	694295000
2	Construction of New Freshwater Fish Hatcheries	3163288	No.	3	9489865	1	3163288	1	3163288	5	15816442
3	Upgradation of Existing Freshwater Fish Hatcheries	1000000	No.	5	5000000	3	3000000	2	2000000	10	10000000
4	Biofloc Units (25 Tanks)	6085077	Units	8	48680616	4	24340308	3	18255231	15	91276155
5	Biofloc Ponds (0.1 ha)	2192315	Units	75	164423625	45	98654175	30	65769450	150	328847250
6	RAS with 6 Tanks	5723740	Units	5	28618700	3	17171220	2	11447480	10	57237400
7	Portable FRP Cages (3 × 3 × 1.5 m)	211863	No.	50	10593125	30	6355875	20	4237250	100	21186250
8	Fish Kiosks (Stalls)	1075000	No.	8	8600000	4	4300000	3	3225000	15	16125000
9	E-rickshaws including Ice Box	705000	No.	15	10575000	9	6345000	6	4230000	30	21150000
10	Construction of Rearing Ponds and One-Time Input for Freshwater Fish Culture	1400000	Ha	25	35000000	15	21000000	10	14000000	50	70000000
11	Freshwater Prawn Farming with One-Time Input	2400000	Ha	25	60000000	15	36000000	10	24000000	50	120000000
12	Fish Landing and Aggregation Centre	7500000	sq. ft.	0	0	5000	7500000		0	5000	7500000
13	One-Time Input for Freshwater Fish Culture	500000	Ha	25	12500000	15	7500000	10	5000000	50	25000000
14	Stocking of Fingerlings in Wetlands	6000	Ha	1000	6000000	500	3000000	500	3000000	2000	12000000
15	Recreational Fisheries (2 Acres)	25000000	Unit	0	0	1	25000000	0	0	1	25000000
16	Rejuvenation and Excavation of Pond/Wetland	1400000	Ha	25	35000000	15	21000000	10	14000000	50	70000000
17	Administrative Building and Training Hall	60215000	Unit	0	0	1	60215000	0	0	1	60215000
18	Insulated Vans (7 per Block)	2000000	No.	11	22000000	6	12000000	4	8000000	21	42000000
19	Purchase of FRP Boats and Nets	500000	No.	8	4000000	4	2000000	3	1500000	15	7500000
20	Fish Processing Plant	100000000	Unit	0	0	1	100000000	0	0	1	100000000
21	Ice Plant (50 MT/Day)	15000000	Unit	0	0	1	15000000	0	0	1	15000000
22	Cold Storage (10 MT/Day)	6000000	Unit	0	0	1	6000000	0	0	1	6000000
23	Feed Plant (8 MT/Day)	20000000	Unit	0	0	1	20000000	0	0	1	20000000
24	Mobile Disease Diagnostic Laboratory (Van)	2500000	No.	3	7500000	3	7500000	3	7500000	9	22500000
25	Digital Infrastructure	10000000	System	50%	5000000	50%	5000000	0	0	1	10000000
26	Human Resources (24 Months)	18000000			10800000		3600000		3600000	0	18000000
27	Borewell, Solar Pump & Pipeline	802000	No.	38	30476000	22	17644000	15	12030000	75	60150000
28	Live fish / Seed transport vehicle	3000000	Units	1	3000000	1	3000000	0	0	2	6000000
Total					**864404431**		**744577366**		**343816699**		**1952798497**
Say,					**86.44 Crore**		**74.46 Crore**		**34.38 Crore**		**195.28 Crore**
(%)					**44.26%**		**38.13%**		**17.61%**		**100%**

5292
29/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव

F No. j-2403315/7/2022-Fy (E-20841)
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Fisheries

Annexure

Cost abstract of Transforming Siwan Wetlands Cluster: an Integrated Aquaculture and Export-Oriented Value Chain proposed by Government of Bihar under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF).

Sr. No.	Activities / Components	Nos. / Units	Total Cost (₹)
1	Construction of New Grow-out Ponds and One Time Input for Freshwater Fish Culture	350 Ha	69,42,95,000.00
2	Construction of New Freshwater Fish Hatcheries	5 No.	1,58,16,441.66
3	Upgradation of Existing Freshwater Fish Hatcheries	10	1,00,00,000.00
4	Biofloc in Tanks (25 Tanks)	15	9,12,76,155.00
5	Biofloc in Ponds (0.1 ha)	150	32,88,47,250.00
6	RAS with 6 Tanks	10	5,72,37,400.00
7	FPR Cages (3×3×1.5M)	100	2,11,86,250.00
8	Fish Kiosks (Stall)	15	1,61,25,000.00
9	E-rickshaws including Ice Box	30	2,11,50,000.00
10	Construction of Rearing Ponds and One Time Input for Freshwater Fish Culture	50 Ha	7,00,00,000.00
11	Construction of Prawn Farming and One Time Input for Freshwater Prawn Culture	50 ha	12,00,00,000.00
12	Fish Landing and Aggregation Centre	5000 Sq ft	75,00,000.00
13	One Time Input for Freshwater Fish Culture	50 ha	2,50,00,000.00
14	Stocking of Fingerlings in Wetland	2000 ha	1,20,00,000.00
15	Recreational Fisheries (2 Acre)	1	2,50,00,000.00
16	Rejuvenation and Excavation of Pond/Wetland	50 ha	7,00,00,000.00
17	Administrative Building and Training Hall	1	6,02,15,000.00
18	Insulated Van (7 Each Block)	21	4,20,00,000.00
19	Purchasing of FRP Boat and Net	15 No.	75,00,000.00
20	Fish Processing Plant	1	10,00,00,000.00
21	Establishment of Ice Plant (50 MT/Day)	1	1,50,00,000.00
22	Establishment of Cold Storage (10 MT/Day)	1	60,00,000.00
23	Establishment of Feed Plant (8 MT/Day)	1	2,00,00,000.00
24	Mobile Disease Diagnostic Laboratory (Van)	9 No.	2,25,00,000.00
25	Digital Infrastructure	1	1,00,00,000.00
26	HR (25 Persons for 24 Months)	—	1,80,00,000.00
27	Borewell and Solar Pump & Pipeline	75 No.	6,01,50,000.00
28	Seed Transport Vehicle	2	60,00,000.00
	Total		**₹1,95,27,98,496.66**
	For say		**₹195.28 Crore**

5292
29/09/26

G. Ramakrishna Rao)
Assistant Commissioner (Fisheries)
G. RAMAKRISHNA RAO
सहायक आयुक्त (मि.)/Asstt. Commissioner (Fy.)
मत्स्यपालन विभाग/Department of Fisheries
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001